

220991 - क्या उसके लिए पानी की उन बोतलों से पीना जायज़ है जो उसने मस्जिद के लिए दान की हैं?

प्रश्न

उन चीज़ों के उपयोग करने का क्या हुक्म है जो दान के रूप में दी गई हैं? मैंने मस्जिद के लिए कुछ इत्र और पानी की बोतलें दान की हैं, और समय-समय पर मस्जिद में उस इत्र और उस पानी का उपयोग करता हूँ। तो इस बारे में इस्लामी शरीयत का दृष्टिकोण क्या है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

कोई भी वक्फ़ या अनुदान, जो किसी मस्जिद - या किसी अन्य के लिए - निर्धारित किया गया है, उसमें वक्फ़ करने वाले या अनुदान करने वाले की शर्त के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

शैख़ इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने कहा :

"वक्फ़ के रूप में दी गई चीज़ के संबंध में अनिवार्य यह है कि : लोग उसके बारे में वक्फ़ करने वाले की निर्धारित शर्तों के अनुसार व्यवहार करें।"

"फतावा नूरुन अलद-दर्ब" (16/2) से उद्धरण समाप्त हुआ।

इसके आधार पर, वक्फ़ करने वाला, अन्य मुसलमानों की तरह, इस वक्फ़ से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन वह उनसे अधिक लाभ नहीं उठाएगा ; चुनाँचे वह उससे ऐसे ही पिएगा जैसे सामान्य लोग पीते हैं, तथा अन्य मुसलमानों की तरह लाभ उठाने के अन्य रूपों से भी लाभ उठा सकता है, जब तक कि उसने इसके अलावा कोई अन्य शर्त नहीं रखी है।

उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में एक कुँआ वक्फ़ किया था और उससे वह स्वयं भी अन्य मुसलमानों की तरह पानी पीते थे।

तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 3703) ने उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "कौन है जो रूमा नामी कुँए को खरीदकर अपने डोल (अर्थात अपने पानी पीने के अधिकार) को अन्य मुसलमानों के साथ कर दे, बदले में उसे जन्नत में इससे बेहतर मिलेगा?" उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु



ने कहा : इसलिए मैंने उसे अपने मूल धन से खरीद लिया ।" अलबानी ने "सहीह अत-तिरमिज़ी" में इसे हसन कहा है ।

इब्ने हजर अल हैतमी रहिमहुल्लाह ने कहा :

उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु का रूमा के कुँए को वक्रफ़ करने के बारे में यह कहना कि : "उससे मेरा पानी भरना अन्य मुसलमानों के पानी भरने की तरह है ।" एक शर्त नहीं है, बल्कि इस बात की सूचना देना है कि वक्रफ़ करने वाला अपने सामान्य वक्रफ़ से लाभान्वित हो सकता है ।"

"अल-फतावा अल-फिक़हिय्या अल-कुबरा" (2/275) से उद्धरण समाप्त हुआ ।

इब्ने बत्ताल रहिमहुल्लाह ने कहा :

"जिसने कोई कुँआ वक्रफ़ किया और उसे पानी पिलाने वालों के लिए निर्धारित कर दिया : तो उसके लिए स्वयं उससे पानी पीने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, भले ही उसने वह शर्त न रखी हो । क्योंकि वह भी उन लोगों में शामिल है जिनके लिए पानी वक्रफ़ किया है ।"

शर्ह सहीह अल-बुखारी (6/492) से उद्धरण समाप्त हुआ ।

बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी सहीह (4/7) में कहा :

"जिसने भी अल्लाह के लिए कोई ऊँट या कोई भी चीज़ वक्रफ़ किया, तो वह उससे लाभ उठा सकता है जिस तरह कि दूसरे लोग उससे लाभ उठाते हैं, भले ही उसने इसकी शर्त न लगाई हो ।" उद्धरण समाप्त हुआ ।

उसके आधार पर, जिसने मस्जिद के लिए पानी की बोतलें दान की हैं, तो इससे अभिप्राय उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं । ऐसी स्थिति में अनुदान कर्ता भी नमाज़ पढ़ने वालों में से एक है । इसलिए, उसके लिए भी दूसरों की तरह उस पानी को पीना जायज़ है ।

इसी तरह इत्र के संबंध में भी कहा जाएगा : यदि उसने इसे इसलिए दान किया है कि नमाज़ पढ़ने वाले उसका उपयोग करें, तो वह भी अन्य नमाज़ियों की तरह इसका उपयोग कर सकता है ।

और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला है ।